"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2017—ज्येष्ठ 19, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक 713/LV-38-25-2017-March/1-8/स्था.—श्रीमती नलिनी माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, का दिनांक 05-04-2017 से 13-04-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नलिनी माथुर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती नलिनी माथुर, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नलिनी माथुर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक एफ 1-26/2017/कौ.वि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 के तहत प्राचार्य वर्ग-2 द्वितीय श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15600-39100/- + ग्रेड पे रुपये 5400/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्था में पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	चयनित उम्मीदवार का नाम (2)	पदस्थापना का स्थान (3)
1.	श्री योगेश देवांगन	औ. प्र. संस्था, कुरूद, जिला-धमतरी
2.	श्री अनुप कुमार मंडल	औ. प्र. संस्था, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
3.	श्री सतेन्द्र कुमार साहू	औ. प्र. संस्था, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
4.	श्री प्रशांत शेखर शुक्ला	औ. प्र. संस्था, कसडोल, बलौदाबाजार-भाटापारा
5.	श्री गगन साहू	औ. प्र. संस्था, खम्हरिया, जिला-बिलासपुर.
6.	श्री अभिनीत गुहा	औ. प्र. संस्था, हथबंद, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
7.	श्री अंशुल शुक्ला	औ. प्र. संस्था, बालोद, जिला-बालोद
8.	श्री घनश्याम साहू	औ. प्र. संस्था, महासमुन्द, जिला-महासमुन्द
9.	श्री प्रतीक कुमार साहू	औ. प्र. संस्था, अंतागढ़, जिला-कोण्डागांव
10.	श्री गौरवसाहू	अटलबिहारी शा.औ.प्र.सं. गीदम, जि.-द.ब. दंतेवाड़ा
11.	श्री सौरभ व्योमेश साव	औ. प्र. संस्था, जगदलपुर, जिला-बस्तर
12.	श्री ईन्नूश कुमार देवांगन	औ. प्र. संस्था, पाली, जिला-कोरबा
13.	श्री सत्येन्द्र चन्द्रवंशी	औ. प्र. संस्था, कवर्धा, जिला-कबीरधाम
14.	श्री विपीन कुमार पटेल	औ. प्र. संस्था, विश्रामपुरी, जिला-कोण्डागांव
15.	श्री मुकेश कुमार साहू	औ. प्र. संस्था, बिल्हा, जिला-बिलासपुर
16.	श्री देवकांत साहू	म.औ. प्र. संस्था, रायपुर जिला-रायपुर
17.	श्री नवीन कुमार साहू	औ. प्र. संस्था, तिल्दा, जिला-रायपुर
18.	श्री चन्देश्वर सिंह पैकरा	औ. प्र. संस्था, कटगोड़ी, जिला-कोरिया
19.	श्री प्यारेलाल खुंटे	म. औ. प्र. संस्था, रायगढ़, जिला-रायगढ़
20.	श्री सुरेश कुमार ध्रुव	म. औ. प्र. संस्था, कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर
21.	श्री रामकुमार	औ. प्र. संस्था, सीतापुर, जिला-सरगुजा
22.	शिवरानी चन्द्रवंशी	औ. प्र. संस्था, (पचपेड़ी) मस्तुरी, जिला-बिलासपुर
23.	श्री जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी	औ. प्र. संस्था, संजारी, जिला-बालोद
24.	श्री हरीश कुमार मनहर	औ. प्र. संस्था, नरहरपुर, जिला-उ.ब. कांकेर
25.	श्री देव चरण गावड़े	औ. प्र. संस्था, खरसिया, जिला-रायगढ़
26.	श्री अजय कुमार गढ़ेवार	औ. प्र. संस्था, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
27.	श्री ऋषभ नायडू	औ. प्र. संस्था, सुरेगांव, जिला-बालोद.

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी. यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (2) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संचलनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण पक्ष, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन कराने के उपरांत ही संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 1-39/2015/रोज.वि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 के तहत रोजगार अधिकारी द्वितीय श्रेणी के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100/- + ग्रेड पे रुपये 5400/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्ति

किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	चयनित उम्मीदवार का नाम (2)	पदस्थापना स्थल (3)
1.	श्री मुकंद कौशल पटेल	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोण्डागांव
2.	श्री ललित कुमार पटेल	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, अंबिकापुर
3.	कु. चारू चित्रा साय	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तें के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की दिनांक के 15 दिवस की समयावधि कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) चयनित प्रत्याशियों को अपना चिकित्सीय (मेडिकल) योग्यता प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(ङ) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है. अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित प्रत्याशी को अंडरटेकिंग नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(च) आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(छ) चयनित प्रत्याशियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संचलनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार पक्ष) इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन कराने के उपरांत ही संबंधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

(ज) चयनित प्रत्याशियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2017

क्रमांक एफ 01-73/2001/दस/भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में उल्लेखित तिथि को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम, बैच, पदनाम एवं पदस्थापना (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति तिथि (4)
1.	डॉ. अरविन्द अनिल बोआॅज (1979), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, रायपुर.	21-03-1958	31-03-2018 (अपरान्ह)
2.	डॉ. रबिन्द्र कुमार सिंह (1983), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छ.ग. रायपुर	13-09-1958	30-09-2018 (अपरान्ह)
3.	डॉ. के सुब्रमणियम (1984), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर	25-08-1958	31-08-2018 (अपरान्ह)
4.	श्री कन्हाई चरण किस्कू (1985), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.	04-05-1958	31-05-2018 (अपरान्ह)
5.	डॉ. जितेन कुमार (1986), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.	04-12-1958	31-12-2018 (अपरान्ह)
6.	श्री अली हुसैन कपासी (1995), मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.	20-01-1958	31-01-2018 (अपरान्ह)
7.	श्री अरविन्द कुमार तिवारी (1996), मुख्य वन संरखक (सतर्कता/शिकायत), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.	03-12-1958	31-12-2018 (अपरान्ह)
8.	श्री जे. पी. चन्द्राकर (1998), मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण, रायपुर.	02-05-1958	31-05-2018 (अपरान्ह)
9.	श्री चन्द्रशेखर तिवारी (1998), उप संचालक, हाथी रिजर्व, सरगुजा, अम्बिकापुर	22-05-1958	31-05-2018 (अपरान्ह)
10.	श्री जयंत कुमार कटकवार (1998), वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सरगुजा	26-08-1958	31-08-2018 (अपरान्ह)
11.	श्री सत्यप्रकाश मसीह (2001), वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर.	18-08-1958	31-08-2018 (अपरान्ह)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला टेंभुरने, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2017

क्रमांक-एफ 3-69/2016/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	शामिल होने वाले प्रस्तावित ग्रामों का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-नगरदा, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा.	थाना-सक्ती, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा.	घुईचुंआ	02
			सलिहाभाठा	02
			बुढ़नपुर	02
			जामचुआ	02
			गहरीनमुड़ा	02
			छिंदमुड़ा	02
			बरपाली कला	02
			खर्रीपारा	02
			रैनखोल	02
			नवागांव	02
			ऋषभतिर्थ	02
			जोबा	02
			मोहगांव	02
			पतेरापाली कला	02
			तुर्री	13
			घोघरा	02
			खैरा	03
			बासीन	03
	थाना-नगरदा, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा	थाना-बाराद्वार, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा.	मौहाडीह	07
			गिधौरी	07
			झरना	07
			कंचदा	07
			दर्रीबंजर	07
			झींका	07
			सुन्दररेली	01
			गतवा	01
			सोनगुढ़ा	01
			बहेरा	01
			जर्वे	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			सकरेली खुर्द	01
			कुधरीटार	01
			बोकरामुडा	01
			धनपुर	01
			गुढ़वा	01
			नगरदा	03
			मानिकपुर	02
			कुरदा	03
			सेन्दरी	03
			पुटेकेला	03
			चमराबरपाली	13
02.	थाना-नया रायपुर, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर.	थाना-मंदिहसौद, तहसील-आरंग जिला-नया रायपुर.	सेक्टर-07, 08, 09 ग्राम-रीको	21
			सेक्टर 10, 11, 12 ग्राम-पालौद.	18
			सेक्टर-13, 15, 16, 17 ग्राम-कयाबांधा.	18
			सेक्टर-18 ग्राम कोटनी	20
			सेक्टर-10, ग्राम-सेंध	21
			सेक्टर-07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 ग्राम-चींचा.	17
			सेक्टर-10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, ग्राम-कोटराभांठा.	18, 20, 21
			ग्राम-धमनी	26
			ग्राम-परसदा	25
			ग्राम-सोनपैरी	12
		थाना-अभनपुर, तहसील-आरंग जिला-रायपुर.	सेक्टर-20, ग्राम-तूता	20

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2017

क्रमांक-एफ 4-44/56/2015/इसूप्रौ.— राज्य शासन एतद्द्वारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर 21, नया रायपुर में कमर्शियल टॉवर-''ए'' के फ्लोर 2 से 9 तक को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अधिसूचित करता है.

2. कमर्शियल टॉवर की आवंटनकर्ता संस्था आवश्यकता अनुसार अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के परिसर को गैर सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को आवंटित कर सकती है, परन्तु उन इकाईयों को "छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19" अंतर्गत किसी भी प्रकार की छूट/प्रोत्साहन/अनुदान/आदि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2017

क्रमांक/एफ-17-106/2009/25-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2012 में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 की अनुसूची-1 में दर्शित राहत की संशोधित दरें दिनांक 23-12-2011 से लागू होंगी.

उक्त हेतु वित्त विभाग के नस्ती क्रमांक एफ-2017-25-01158/ब-3/चार दिनांक 26-04-2017 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2017

क्रमांक एफ 20-103/2015/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगो हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" एवं इसके अंतर्गत समय-समय पर प्रसारित अधिनियम/नियम को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2017

क्रमांक/4327/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-3/99/14-3 दिनांक 15 मार्च, 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा छूट प्रदान करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए पोहा के प्रसंस्करण हेतु प्रयुक्त अधिसूचित कृषि उपज धान पर, 100 रु. के लिए 1 रु. की दर से मंडी शुल्क नियत करती है, अर्थात् :—

1. विहित कालावधि के भीतर मण्डी कार्यालय में उप-विधियों के अधीन अनुसूचित विवरणियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

2. विवरणी में, यह घोषणा करना होगा कि क्रय धान का उपयोग पोहा प्रसंस्करण के लिए किया गया है.

3. पोहा के विक्रय के प्रमाण स्वरूप, बिल/बीजक/अनुज्ञा पत्र तथा पोहा क्रेता/फर्म से प्राप्त भुगतान का विवरण भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा.

4. केवल पोहा के प्रसंस्करण हेतु धान के क्रय पर ही मंडी शुल्क से आंशिक छूट प्रदान की जायेगी. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में, क्रय किये गये सम्पूर्ण धान पर 2% की दर से मंडी शुल्क उद्ग्रहित किया जायेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2017

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4327/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2 रायपुर, दिनांक 27-05-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 27th May 2017

No. 4327/D-15/116/Part-3/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, by partly amending this department's notification No. D-15-3/99/14-3, dated 15th March, 2000 and by giving relaxation, hereby, fix the Mandi fee at the rate of Rs. 1 for Rs. 100 on notified agriculture produced paddy used for the processing of poha subject to the following conditions, namely :—

1. It shall be mandatory to submit the scheduled returns under bye-laws in the Mandi office within prescribed period.

2. In return, it has to be declared that the purchase paddy has been used for processing of Poha.

3. As a proof of sales of Poha, bill/in voice/permission letter and detail of the payment received from the poha purchaser/firm is also required to be submitted.

4. Partial exemption of Mandi fees shall only be granted to purchase of paddy only for processing of poha. In the case of non compliance of above mentioned conditions Mandi fees will be levied at the rate of 2% on the entire purchased paddy.

This notification shall be effective from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2017

क्रमांक एफ 7-17/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 15-9-2016 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	डूण्डा प.ह.नं. 51	500/7	2.97 एकड़	अमोद-प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

2. उक्त उपांतरण ब्यूरो, भारत सरकार को कार्यालय सह आवासीय प्रयोजन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2017

क्रमांक एफ 7-13/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-9-2016 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में उपांतरण

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	सुन्दरा प.ह.नं. 23	22	18.258 हेक्टेयर में से 4.047 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय

2. उक्त उपांतरण अटल विहार आवासीय योजना क्रियान्वयन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकिन) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव योजना (पुनर्विलोकन) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्रमांक-एफ 7-11/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हरदीबाजार निवेश क्षेत्र जिला कोरबा का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

हरदीबाजार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम रैकी एवं हरदीबाजार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हरदीबाजार एवं बम्हनीकोना ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बम्हनीकोना एवं नेवसा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम नेवसा एवं रैकी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक 1344/आर-66/01/2016/13/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रताधारित इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है. उक्त पद के वेतनमान, कंपनी का प्रोफाईल, पदीय दायित्वों, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, चयन की प्रक्रिया आदि निम्नानुसार है :—

1. **प्रबंध निदेशक का वेतनमान :—**प्रबंध निदेशक के पद के लिए कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद के लिए निर्धारित वेतनमान रुपये 45,900-1250 (2)-48,400-1550 (18)-76,300 (पुनरीक्षण दिनांक 01-04-2014 से संभावित) तथा विशेष वेतन रुपये 5000 देय होगा. वेतन के अतिरिक्त कंपनी के प्रचलित नियमों के अधीन महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा आदि देय होंगे. सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के मामले में सामान्यत: देय कुल परिलब्धियों की गणना पेंशन की राशि घटाकर की जाएगी.

2. **छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का प्रोफाईल :—**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम, 2010 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन उपरांत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, दिनांक 01 जनवरी 2009 से कार्यरत है. होल्डिंग कंपनी प्राथमिक रूप से निवेश कंपनी जो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा पावर ट्रेडिंग से संबंधित राज्य की कंपनी में निवेश करेगी तथा सी.एस.ई.बी. ग्रेच्युटी, पेंशन फण्ड ट्रस्ट तथा सी.एस.ई.बी. प्रॉविडेन्ट फण्ड ट्रस्ट का प्रबंधन एवं निगरानी का कार्य करती है. होल्डिंग कंपनी के प्रमुख दायित्वों में राज्य की पॉवर कंपनियों के नीति गत विषयों/भर्ती तथा पदोन्नति से संबंधित कार्य मुख्य है. उपरोक्त के अतिरिक्त होल्डिंग कंपनी राज्य के विभिन्न विभागों, विभिन्न पॉवर यूटिलिटियों के मध्य समन्वयन का कार्य करती है.

3. **पदीय दायित्व :—** कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड एवं चेयरमेन के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करते हुए कंपनी में मुख्यत: निम्नलिखित दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी रहेगा :—

(1) राज्य की नीतियों को लागू करना.
(2) प्रशासनिक कार्य.
(3) मानव संसाधन संबंधी कार्य जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि.
(4) विधिक मामले.
(5) विद्युत कंपनियों के मध्य समन्वय.
(6) निवेश संबंधी मामले.
(7) कंपनी के लेखे तैयार करना.
(8) संसदीय कार्य.
(9) आडिट संबंधी मामले.
(10) बोर्ड मीटिंग का आयोजन एवं निर्णयों पर क्रियान्वयन संबंधी समन्वय.

4. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :—**अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए.

5. **अनुभव :—**

i. स्टेट सेक्टर के पॉवर यूटिलिटी अथवा पावर सेक्टर के शेडयूल "ए "सार्वजनिक उपक्रम में एक्जीक्युटिव डायरेक्टर अथवा समतुल्य पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अथवा राज्य सरकार में सचिव के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.

ii. मैनेजिंग डायरेक्टर के पास प्रशासनिक क्षेत्र का व्यापक अनुभव एवं दक्षता होनी चाहिए ताकि वह होल्डिंग कंपनी के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके.

6. **अन्य अर्हताएं :—**

i. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से "फिटनेश सर्टिफिकेट" प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा. मेडिकल बोर्ड से फिट पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा.

ii. अभ्यर्थी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त या बर्खास्त न किया गया हो.

iii. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज न हो अथवा किसी अपराधिक प्रकरण में दण्डित न हो.

7. **नियुक्ति की अवधि :—**

मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष के लिए रहेगी.

8. **आयु सीमा :—**

दिनांक 01 जनवरी 2017 को आयु 65 वर्ष से अधिक न हो.

9. **आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—**

i. आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं (आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव) एवं अन्य सुसंगित योग्यता/अनुभव (यदि कोई हो तो) के प्रमाण के रूप में सुसंगत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति आवेदन के साथ संलन किया जाना अनिवार्य है. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

ii. आवेदन संलग्न प्रारूप (Annexure-I) में श्री आशीष कुमार भट्ट, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर 492002 को संबोधित करते हुए सीधे अथवा स्पीड पोस्ट से दिनांक 10 जून 2017 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

iii. सेवारत अभ्यर्थी को अपने आवेदन की एक प्रति सीधे तथा आवेदन की दूसरी प्रति अपने नियोक्ता संस्थान के माध्यम से भेजनी चाहिए.

10. **चयन प्रक्रिया/नियुक्ति की प्रक्रिया :—**

(i) राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा नियत दिनांक तक प्राप्त सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदनों के अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक उपयुक्त 03 उम्मीदवारों का पैनल अंग्रेजी अक्षरों के वर्णक्रम में राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा.

(ii) चयन समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा नियुक्ति आदेश प्रसारित किया जाएगा.

11. **सेवा शर्ते :—** प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 से प्रशासित होगी.

ANNEXURE - I

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT AS MANAGING DIRECTOR IN
CHHATTISGARH STATE POWER HOLDING COMPANY LIMITED
[THROUGH PROPER CHANNEL] '*'

(Note : Any column left blank will make the application incomplete and liable for rejection.)

1. Name of the post applied for : ....

2. (a) Name (as per official records) : ....

(b) Identification Number (Aadhaar Number) : ....

(c) Present Designation of the Applicant (in case Serving Candidate) : ....

(d) Designation at the time of retirement (in case Retired Candidate) : ....

(e) Category-Employment Status (please tick as applicable) :- Officer of a State PSU's/CPSU's/Private Sector

(f) Office Address : ....

....

....

3. Address for communication : ....

....

....

4. Telephone No. : Office.................................... Residence ....

FAX No. .... Mobile No. ....

E-Mail address ....

5. Date of Birth ....Age (as on 01-01-2017)..

6. Eligibility Criteria :

	As per Job description	Prossessed by the officer	Whether eligible or not
Educational/professional qualifications (along with the name of Institutions)			
Present pay Scale (in case Serving Candidate).			
Pay Scale at the time of retirement (in case Retired Candidate)			
Length of service in eligible pay scale.			

'*' Note : Not applicable if applicant has retired from service.

7. Positions held during the preceding ten years :

S.N.	Designation, and place of posting	Organisation	From	To	Pay Scale
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

7 (a) Details of experience relevant for the advertised post and job description, out of 7 above :

S.N.	Designation, and place of posting	Organization	From	To	Pay Scale	Nature of experience
1.						
2.						
3.						
4.						

Note :

1. You may attach a write up, if you wish, **not exceeding two pages**, in support of your candidature.

2. Full form of all abbreviations used while making entries in the application form should be suitably explained i.e. in footnotes or a separate attachment.

8. (A) Do you hold lien in any other organization other than where currently working ?

Yes	No

If yes :

(a) Name of the organization in which the lien is held :

....

....

(b) Date from which the lien is held ....

(B) Are you on deputation ?

Yes	No

If yes :

Date from which you have been on deputation :— ....

9. (a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years.

Yes	No

If yes, the details thereof : ....

....

(b) Whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes.

Yes	No

If yes, the details thereof : ....

....

CERTIFICATE

I certify that the details furnished by me in Cols. 1 to 9 are true to the best of my knowledge and belief.

UNDERTAKING

I hereby undertake to join the post, if selected. I understand that if I convey my unwillingness to join after the interview its held, but before the appointment is processed, or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of two years for being considered for Board level post in any of the Chhattisgarh State Power Company.

Date : (Name and Signature of the applicant)

(To be filled by the State PSU/CPSU/Ministry/Department concerned)

It is certified that the particulars furnished above have been scrutinized and found to be correct as per official records.

Signature & Designation of the Competent Forwarding
Authority with Telephone No. & Office Seal.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2017

क्रमांक 1368/आर-66/2016/13/2.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती तृप्ति सिन्हा, कार्यपालक निदेशक (पी एंड पी), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, को दिनांक 01 जून, 2017 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पद पर नियुक्त करता है.

2. श्रीमती तृप्ति सिन्हा उपरोक्त कंपनी के संचालक को अंतर्नियम की कंडिका-78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक 497/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुन्द	तेन्दुवाही	1.17 हेक्ट.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों को 175 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम तेन्दुवाही.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक /2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत सिनोधा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों 175 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	6 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों को 175 हेक्ट. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक 501/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुन्द	रुमेकेल	1.13 हेक्ट.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों को 175 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-रुमेंकेल

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक /2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत रुमेकेल में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों 175 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	8 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों को 175 हेक्ट. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक 505/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुन्द	बरेकेल	0.33 हेक्ट.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों को 175 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-बरेकेल

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक /2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत बनपचरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों 175 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	2 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 4 ग्रामों को 175 हेक्ट. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 22 मई 2017

क्रमांक 522/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	सरायपाली	लांती	4.67 हेक्ट.	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-लांती.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत लांती में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3668.25 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हे. में खीरफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 22 मई 2017

क्रमांक 526/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुन्द	बंदोरा प.ह.नं.-09	4.46 हेक्ट.	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-बंदोरा

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत अचानकपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों 485 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 1102.26 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हेक्ट. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

रा.प्र.क्र. 17/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	पवनपुर प.ह.नं. 27	0.62	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग-सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	पवनपुर बिठियापारा से परमेश्वरपुर मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	भरूआमुड़ा प.ह.नं. 6	2.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	नवगई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत जलाशय/ परियोजना के डूब क्षेत्र/ नहर नाली निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	तेजपुर प.ह.नं. 1	2.928	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	नवगई प.ह.नं. 2	0.958	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	नवगई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	पीढ़ा प.ह.नं. 5	2.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	नवगई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत जलाशय/ परियोजना के डूब क्षेत्र/ नहर नाली निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	नवगई प.ह.नं. 2	4.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	नवगई व्यपवर्तन योजना जलाशय/परियोजना डूब क्षेत्र/नहर नाली निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	पण्डरी प.ह.नं. 3	0.964	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/16-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	पोंड़ी प.ह.नं. 1	3.908	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 मई 2017

क्रमांक/2836/02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	समलूर प.ह.नं. 8	3.807	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	समलूर जलाशय एवं जलाशय हेतु आर.बी.सी./एल.बी.सी. नहर निर्माण समलूर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	गिधवा प.ह.नं. 24	4.04	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा.	ढाबा व्यपवर्तन योजना के डुबान अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/7780/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चन्द्रपुर प.ह.नं. 38	46.580	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/7782/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	महादेवपाली प.ह.नं. 41	7.546	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/7784/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कलमा प.ह.नं. 41	0.894	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/7786/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरहागुड़ा प.ह.नं. 39	4.512	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/7788/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हीरापुर प.ह.नं. 39	5.157	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/7790/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोपालपुर प.ह.नं. 39	10.691	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 24 मई 2017

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	साल्ही प.ह.नं. 16	8.977	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा.लि., अम्बिकापुर.	रेलवे लाईन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक 417/27/अ-82 वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गिधामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/1	0.20
95/2	0.18
95/3	0.03

(1)	(2)
95/4	0.02
95/5	0.01
95/6	0.01
95/7	0.30
140/452/1	0.27
95/8	0.30
140/452/2	0.12
232/1	0.10
140/452/3	0.13
140/452/4	0.04
140/452/6	0.04
232/2	0.10
140/452/5	0.21
232/3	0.04
140/452/7	0.07
232/4	0.11
232/5	0.04
232/6	0.07
244/1	0.06
244/2	0.06
244/3	0.04
247	0.10
232/7	0.05
232/8	0.08
योग 27	2.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमकेनी जलाशय योजना के दायीं तट नहर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक 420/17/अ-82 वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
276	0.01
277	0.03
282/1	0.07
278	0.03
279	0.03
281	0.05
423	0.12
282/2	0.02
290	0.04
292	0.04
291	0.05
419	0.01
420	0.07
408	0.17
471	0.04
472	0.04
474	0.06
473	0.07
349/2	0.08
468	0.04
349/1	0.10
469	0.04
344	0.35
417	0.01
422	0.01
483	0.01
470	0.03
योग 27	1.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना शाखा नहर क्र. 5 के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक 422/22/अ-82 वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-भगत सरायपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.88 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	349/7	0.12
	349/9	0.03
	349/8	0.08
	349/4	0.02
	349/5	0.08
	349/6	0.12
	351	0.07
	343	0.48
	361	0.23
	362	0.08
	363	0.10
	451	0.02
	221	0.04
	365	0.01
	364	0.07
	217	0.12
	366/1	0.08
	366/2	0.04
	219	0.14
	367	0.06
	372	0.23
	152	0.06
	373	0.20
	261	0.04
	448	0.13
	450	0.05
	426	0.01
	449	0.03
	375	0.01
	447	0.23
	214/2	0.04
	434/2	0.01
	211/3	0.02
	214/1	0.05
	434/1	0.02
	211/2	0.04
	211/1	0.07
	433	0.01
	215	0.06
	213	0.18
	229	0.03
	435	0.03
	436	0.06
	443	0.02
	442/1	0.02
	442/2	0.01
	394	0.08
	385	0.08
	218	0.13
	384	0.04
	154	0.34
	150	0.04
	155	0.30
	220	0.08
	146	0.01
	216	0.01
	210	0.09
	195	0.03
योग	58	4.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के मुख्य नहर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक 453/20/अ-82 वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कलेण्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	155	0.20
	156	0.03
	372	0.09
	371	0.05
	373/1	0.03
	373/2	0.07
	369	0.17
	374	0.03
	376	0.37
	377	0.02
	390	0.18
	427	0.01
	389	0.26
	388/1	0.04
	706/8	0.30
	388/3	0.07
	706/7	0.02
	713	0.07
	714	0.04
	715	0.15
	709	0.12
	708	0.06
	707	0.03
	706/2	0.10
	677	0.87
	667 (टु.)	0.36
	776	0.28
	777	0.12
	778	0.06
	779	0.18
योग	30	4.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के मुख्य नहर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 26 मई 2017

रा.प्र.क्र. 915/19/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सावंतपुर, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351/1	0.101
351/2	0.077
350/1	0.113

(1)	(2)
350/2	0.109
336/1	0.012
438, 439, 440	0.215
349/1	0.134
349/2	0.125
359/4	0.109
359/7	0.109
359/6	0.109
359/3	0.008
360/1 क	0.150
360/1 ख	0.093
387/2 ख	0.049
362/3 क, 363/2 क	0.385
378/2	0.190
378/3	0.097
385	0.105
387/2 क	0.012
386/1	0.121
389/1	0.081
386/2	0.081
389/2	0.101
382/2	0.069
390/1	0.121
390/2, 390/3	0.008
390/4, 390/5	0.008
425/1	0.494
444/4	0.113
444/1	0.101
445	0.093
446	0.065
563/2	0.142
563/4	0.162
536/3	0.138
562/16	0.016
योग 37	4.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहसपुर व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 मई 2017

रा.प्र.क्र. 917/14/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कापादाह, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.640 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
759/2, 760/3	0.109
759/1, 760/1	0.040
761/5	0.142
762	0.077
763	0.093
773/3	0.041
774	0.235
772/1	0.032
776	0.113
853/1	0.053
854/2	0.137
773/2	0.089
778/2	0.040
787/2	0.008
788	0.016
853/2	0.020
781/1	0.016
781/2	0.016
786/1	0.024
786/2	0.024
789	0.073
792	0.016
795/1	0.012
796	0.028

(1)	(2)
794/1	0.061
793/1	0.016
794/2	0.089
778/1	0.024
637/3, 644/11	0.069
637/5 क, 638/1 क, 644/6 क	0.049
637/10, 638/2 क, 638/5, 644/12	0.049
637/11, 638/5, 644/5	0.036
637/1	0.206
637/4	0.008
637/7, 644/10	0.134
637/8	0.057
637/3, 644/9	0.069
641	0.004
642	0.008
643	0.016
632/2	0.097
632/6	0.210
623	0.061
632/1	0.356
624/3	0.397
625	0.125
626/2	0.045
योग 47	3.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहसपुर व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 मई 2017

रा.प्र.क्र. 919/15/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-प्राणकापा, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.611 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
66/4	0.036
61/4	0.332
66/1	0.186
66/2	0.093
67/1	0.121
67/2	0.061
67/3	0.117
67/4	0.077
60/6	0.154
60/5	0.049
60/7	0.004
60/3	0.049
425/2	0.020
60/8	0.016
60/9	0.020
52/1	0.259
52/4	0.085
53/3	0.061
52/2	0.437
33	0.178
31/1	0.061
31/2	0.162
30	0.105
32/1, 42	0.081
27	0.028
32/2	0.093
382/2	0.134
34	0.049
392	0.004
44/2, 51/2	0.170
41, 43/2	0.202
294/4	0.607
301/1	0.061
294/1	0.057
295/4	0.073
295/2	0.113

	(1)	(2)
	294/2 क	0.194
	294/2 ख	0.121
	300/3 ख	0.065
	300/3 क	0.065
	300/2 ख	0.036
	300/2 क	0.089
	383	0.089
	303/2	0.004
	300/1 ख	0.081
	384	0.129
	387/1	0.004
	387/2	0.129
	388/1	0.028
	388/2	0.065
	389	0.121
	414/1 क, 414/2 क	0.121
	414/1 ख, 414/2 ख	0.004
	390/1	0.004
	390/2	0.016
	391	0.243
	401	0.049
	402	0.214
	403	0.121
	404	0.141
	405/1	0.024
	413/1	0.081
	415/1	0.073
	413/2	0.073
	415/2	0.073
	431/1	0.137
	430/2	0.105
	430/3	0.101
	428, 429	0.174
	430/1	0.065
योग	69	7.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहसपुर व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-डंगनिया, प.ह.नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
667/1	0.052
667/2	0.047
667/3	0.036
666	0.050
665	0.016
669/2	0.016
670/1	0.017
671	0.029
672	0.086
673	0.018
674	0.134
678/1	0.078
678/3	0.026
683	0.065
682	0.021
681	0.060
684	0.050
685/1	0.012
686	0.029

	(1)	(2)
	687	0.017
योग	20	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझिटी, डंगनिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-हथमुड़ी, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4/1	0.040
	8	0.040
	10	0.030
	11/2	0.030
	12	0.020
योग	5	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझिटी, डंगनिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-ठाकुरदेवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
612/1	0.10
662/2	0.05
662/3	0.03
659	0.04
658/1	0.05
658/4	0.04
657/3	0.06
666	0.01
667/2	0.04
667/1	0.06
653/2	0.03
653/3	0.04
570	0.10
571	0.08
572	0.10
574	0.08

(1)	(2)
608	2.24
योग	3.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठाकुरदेवा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2017

क्रमांक 5/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-चुक्तीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.536 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
700	0.113
706	0.154
716	0.020
696	0.510
697	0.255
702	0.081
717	0.125
698	0.065
712	0.101
708	0.093
713	0.101
695	0.518
699	0.121
707	0.178
709	0.101
योग 15	2.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाड़ीखार जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2017

क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.594 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/14,	0.146
179/41	0.061
101/5	0.040
179/17	0.077
101/3	0.097
101/1 ड	0.109
101/1 च	0.077
101/2	0.162
179/45	0.077
101/1 ख	0.040
101/1 ग	0.202
102/22	0.405

(1)	(2)
102/6	0.081
102/20	0.020
योग 13	1.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लहरानाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5805/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-कंचनटोली, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
113/3	0.611
89	0.223
90	0.202
96/2	0.410
108/4	0.522
109/1	0.293
96/1	1.525
108/2	0.603
113/1	1.411
119/4	1.023
119/5	0.647
110/1	1.201
95/2	0.429
101	0.551
103/1	0.734
100	0.539
102	0.656
118	1.437
86/1	0.200
107	0.384
109/2	1.176
105/2	1.420
108/1	0.603
119/2	1.245
85/2	1.000
117/1	0.258
114/1	0.555
110/2	0.600
103/2	0.415
87	0.399
99	0.769
104/1	0.197
84/1	0.100
120/1	0.125
108/3	0.405
113/2	1.416
119/3	0.202
85/1	0.763
97	0.113
117/2	0.514
117/3	0.259
104/2	0.196
116	0.502
84/2	0.283
120/2	0.126
योग 45	27.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहरा ढोढ़ा जलाशय योजना कंचनटोली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5806/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-शंकरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मनोहरपुर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-01.047 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	38	0.057
	39/1	0.040
	39/2	0.057
	40	0.109
	42/1	0.061
	37	0.182
	112	0.117
	113	0.097
	42/2	0.060
	114/2	0.267
योग	10	1.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैराडीह व्यपवर्तन सिंचाई योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5807/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-रातासिली, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.816 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/5	0.293
246	0.358
11/2	0.223
9/7	0.293
541	0.338
60/1	0.026
246/3	0.293
9/1	0.283
2/2	0.729
4	0.425
11/3	0.053
11/1 क	0.065
11/5	0.405
12	0.036
11/4	0.232
9/3	0.178
10/2	0.172
13/1	0.005
247/1	0.033
9/2	0.121
9/4	0.437
10/1	0.148
11/1 ख	0.081
9/6	0.587

	(1)	(2)
	53	0.002
योग	25	5.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेनगंगा जलाशय योजना राताासिली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5808/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-नटवरनगर, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.708 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1281	0.020
1291/8	0.246
1312	0.227
1465	0.304
1473	0.275
481/3	0.255
504/1	0.219
1460/1	0.853
1296	0.339
1308	0.046
481/4	0.150
482	0.105
1280	0.020
1288	0.289
1457/2	0.368
1460/2	0.282
1297	0.624
1459	0.382
1465	0.304
1287/1	0.145
1310/4	0.081
1281	0.267
1457/1	0.002
1460/3	0.282
1462/1	0.283
1301/2	0.170
1306/2	0.324
1310	0.081
1314/2	0.126
1457/3	0.368
1460/4	0.283
1464	0.158
1467	0.121
1311	0.445
1287/4	0.150
1306/1	0.324
1310/3	0.081
1287/2	0.146
1476/1	0.401
1462/3	0.324
1463	0.125
1301/1	0.405
1291/3	0.135
500	0.005
1456	0.205
1473	0.260
1303/1	0.688
1309/2	0.132
1305	0.251
481/2	0.002
501	0.085
502	0.081
1271	0.210
503	0.077
1292	0.462
1293	0.263
1294	0.263
1295	0.534
1291/1	0.121

	(1)	(2)
	1291/2	0.583
	1474	0.243
	1287/3	0.146
	1468	2.225
	1469	0.295
	498/1	0.186
	498/2	0.170
	504/1	0.219
	504/2	0.057
	504/3	0.194
	1290	0.430
	1458	0.405
	498/4	0.146
	498/5	0.089
	499/2	0.005
	499/1	0.141
योग	75	19.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेनगंगा जलाशय योजना नटवरनगर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5809/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-बसकेपी, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.007 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	57	0.299
	58	0.072
	72	0.645
	73	0.242
	78	0.210
	77/1	0.226
	77/2	0.282
	81	0.141
	82	0.024
	85	0.045
	74	0.202
	123	0.339
	55	0.162
	1/48	0.141
	1/57	0.121
	1/46	0.121
	54/4	0.008
	1/50	0.081
	79/11	0.242
	79/12	0.259
	84	0.024
	75	0.121
योग	22	4.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना बसकेपी के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5810/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-बसकेपी, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1585	0.097
	979	0.162
	980	0.073
	957/2	0.141
	956	0.313
	958	0.137
	999	0.073
	982	0.096
	983	0.041
	984	0.020
	985	0.020
	1573	0.008
	1583	0.089
	1599	0.405
	1587	0.121
	1589	0.101
	1001	0.073
	978	0.049
	995	0.542
	1002	0.020
	1600	0.121
	1572/1	0.152
	977	0.202
	1557	0.140
	1567	0.202
	1000	0.089
	1586	0.020
	1588	0.181
	1590	0.105
	1594	0.297
	1565	0.024
	1571	0.128
योग	32	4.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना बसकेपी के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5811/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-घुटराडीह, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
211	0.251
214/2	0.045
214/4	0.008
216/2	0.219
1123	0.328
1181	0.028
1153	0.011
1156/2	0.200
1156/1	0.244
1157/1	0.233
214/3	0.028
1132/1	1.481
1131/1	0.440
1162	0.089
1191	0.010
1132/4	0.247
1131/2	0.445

	(1)	(2)
	1158	0.405
	1176	0.004
	210	0.005
	1162	0.077
	1156/3	0.323
	1154	0.250
	1161/2	0.117
	1161/3	0.318
	1166	0.097
	1177	0.040
	1165	0.020
	1170	0.001
	1171	0.006
	1187	0.006
	1169	0.001
	1179	0.360
	1182	0.036
	1183	0.450
	1234	0.002
	1230	0.121
	1232/4	0.121
	1240/1	0.020
	1240/4	0.081
	1231	0.002
	1233	0.008
	1232/1	0.105
	1238	0.710
	1175	0.010
योग	46	8.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेनगंगा जलाशय योजना घुटराडीह हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/5812/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-शंकरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जारगीम, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-01.182 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	578/1	0.030
	580/1	0.180
	578/2	0.020
	579/2	0.010
	580/2	0.180
	577	0.201
	575/7	0.160
	575/3	0.401
योग	08	1.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-व्यपवर्तन सिंचाई योजना जारगीम हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ.ग.)

ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2017/114.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय, रायपुर द्वारा माह-मार्च 2017 (दिनांक 20-03-2017 से 24-03-2017 तक) में आयोजित "छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो" में सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

भाग-एक

क्र. (1)	परीक्षा अनुक्रमांक (2)	कर्मचारी का नाम (3)	पदनाम (4)	पदस्थी कार्यालय (5)
1.	17103	श्री राहुल अरोरा	भृत्य	रायपुर

भाग-दो

क्र. (1)	परीक्षा अनुक्रमांक (2)	कर्मचारी का नाम (3)	पदनाम (4)	पदस्थी कार्यालय (5)
1.	17206	श्रीमती रामेश्वरी जोशी	सहायक संपरीक्षक	राजनांदगांव
2.	17210	श्री सुरेन्द्र सिंह तैनगुरिया	सहायक संपरीक्षक	बिलासपुर
3.	17211	श्री रमेश कुमार खुंटे	सहायक संपरीक्षक	बिलासपुर
4.	17213	कुमारी तस्मीन बानो	सहायक संपरीक्षक	बिलासपुर
5.	17217	श्री मन्देश्वर प्रसाद मिंज	सहायक ग्रेड-2	संचालनालय

(संचालक महोदय द्वारा आदेशित दिनांक 28-04-2017)

शैलेन्द्र बंशपाल
परीक्षा नियंत्रक.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2017

क्रमांक-एफ 03-02/2007/एक/2546.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अध्यक्षता में दिनांक 02 मई 2017 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अधीन उपयुक्त पाये गये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के श्री जय कुमार बियार, सहायक ग्रेड-1, को अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु. 9300-34800+ग्रेड पे 4800 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाता है.

2. पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा.

3. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर देना होगा इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा. विकल्प प्राप्त नहीं होने पर वेतन निर्धारण नियमों के अन्तर्गत कर दिया जावेगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है.

ओंकार सिंह,
सचिव.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 9 मार्च 2017

क्रमांक 606/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-रामानुजगंज/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि रामानुजगंज निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत रामानुजगंज में दिनांक 09-03-2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

रामानुजगंज निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

रामानुजगंज निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम कनकपुर उर्फ टाटू, लुरगी एवं रामानुजगंज ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम रामानुजगंज, पुरानडीह, कमलपुर एवं कृष्णनगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम नवापारा, ताम्बेश्वर नगर, भंवरमाल एवं कृष्णनगर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कनकपुर उर्फ टाटू, आरागाही, नवापारा, ताम्बेश्वर नगर एवं भवरमाल ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 606/T&CP/Ambikapur/DP-Ramanujganj/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Ramanujganj planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 09-03-2017 during office hours in the offices of the Collector District Balrampur-Ramanujganj, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Ramanujganj District Balrampur-Ramanujganj.

The limit of Ramanujganj Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Ramanujganj Planning Area

NORTH	:	Village Kanakpur alias Tatoo, Lurgi and upto the Northern limit of Ramanujganj.
EAST	:	Village Ramanujganj, Purandih, Kamalpur and upto the Eastern limit of Krishnanagar.
SOUTH	:	Village Nawapara, Tambeshwar Nagar, Bhawarmal and upto the Southern limit of Krishnanagar.
WEST	:	Village Kanakpur alias Tatoo, Aragahi, Nawapara, Tambeshwar Nagar and upto the Western limit of Bhawarmal.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh.

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 2 जून 2017

"प्रारूप-ख"
[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

क्रमांक 1129/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा के ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक जल परिवहन हेतु मेसर्स एनटीपीसी लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय

अधिकारी (राजस्व), डभरा छ.ग. को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील/जिला	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (ए. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चंद्रपुर/38	31/1	0.05
		योग	**1**	**0.05**

डभरा, दिनांक 2 जून 2017

प्रारूप-ख
[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

क्रमांक 1131/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा के ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक जल परिवहन हेतु मेसर्स एनटीपीसी लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा छ.ग. को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील/जिला	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (ए. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह/37	158/8	0.40
			629	0.45
			685/6 क, 685/6 ख, 685/6 ग	0.60
			816/3	0.45
			637/3	0.24
			838/1	0.24
		योग	**6**	**2.38**

डभरा, दिनांक 2 जून 2017

प्रारूप–ख

[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

क्रमांक 1133/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा के ग्राम–लारा, तह.–पुसौर, जिला–रायगढ़ तक जल परिवहन हेतु मेसर्स एनटीपीसी लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्तअधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा छ.ग. को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील/जिला	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (ए. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर–चांपा	डभरा	कोसमंदा/30	75/12 क	0.43
			101/1 न	0.12
			75/12 ख	0.22
			101/16 क	0.35
			75/11 क	0.38
			75/20	0.46
			75/9	0.14
			101/15 क	0.08
			101/24 क	Nil
			67	0.13
			75/7 क	0.15
			101/21 क	0.33
			101/19 क	0.45
			75/16	0.62
			66	0.10
			75/6	0.26
			122/6	0.23
			75/11	0.02
			75/13	0.04
			69/2	Nil
		योग	**20**	**4.51**

डभरा, दिनांक 2 जून 2017

प्रारूप-ख

[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

क्रमांक 1135/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा के ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक जल परिवहन हेतु मेसर्स एनटीपीसी लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा छ.ग. को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील/जिला	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (ए. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहुआपाली/30	450/1	0.40
			260/2 ङ	0.17
		योग	**2**	**0.57**

डभरा, दिनांक 2 जून 2017

प्रारूप-ख

[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

क्रमांक 1137/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा के ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक जल परिवहन हेतु मेसर्स एनटीपीसी लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा छ.ग. को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील/जिला	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (ए. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फलियामुड़ा/30	190/19	0.26
			194/1	0.13
			192/2 ख, 193/2 ख	0.39
			190/24	0.66
			190/14	0.24
			195/3	0.19
			190/12	0.33
		योग	**7**	**2.20**

डभरा, दिनांक 2 जून 2017

प्रारूप-ख
[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

क्रमांक 1139/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा के ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक जल परिवहन हेतु मेसर्स एनटीपीसी लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा छ.ग. को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील/जिला	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (ए. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल/30	518/2	0.28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			832/4, 596/6	0.12
			529/2	0.15
			596/6, 832/3	0.15
			829/5	0.05
		योग	**5**	**0.75**

रीता यादव
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th April 2017

No. 793/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt.III).—(A) Shri Jaideep Garg, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is appointed as Secretary, High Court Legal Services Committee, Bilspur from the date he assumes charge of his office.

(B) Shri Venseslas Toppo, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Registrar (Classification), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is assigned the charge of the post of Additional Registrar (Judicial) from the date on which Shri Jaideep Garg hands over charge of the said post, in addition to his own duties until further orders.

Bilaspur, the 28th April 2017

No. 800/Confdl./2017/II-3-14/2000 (Pt.II).—On the application of Ku. Shanti Prabhu, Member of Lower Judicial Service and presently posted as Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Shanti Prabhu Jain” in place of “Ku. Shanti Prabhu” and to incorporate the name of her husband Shri Lalit Kishore Jain in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

बिलासपुर, दिनांक 3 मई 2017

क्रमांक 87/दो-3-7/2015.—श्री संतोष शर्मा, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), अम्बिकापुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
अरविन्द सिंह चन्देल, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक 79/दो-3-26/2014.—श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर वर्तमान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 28-01-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2017

क्रमांक 105/दो-3-41/2007.—श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18-04-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.